5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2010 जिला–सीधी रिव्यू 158-III/10

रहिमान तनय करमुल्ला मुसलमान, निवासी ग्राम शैलवार थाना गढ़वा, तहसील चिंतरंगी, जिला सिंगरौली म.प्र.

.... आवेदक

विरुद्ध

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक द्वारा आज दि० 4/2/10 को प्रस्तुत।
04/02/2010
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

सकीना मृत विधिक वारिसानः–

1. अनवर अहमद मुसलमान पति सकीना रहिमान,
2. अकबर हुसेन पुत्र अनवर अहमद,
3. आजाद हुसैन पुत्र अनवर अहमद
4. गुड़िया बेगम पुत्री अनवर अहमद
5. डबलुआ बेगम नाबालिंग पुत्री अनवर अहमद सरपरस्त पिता अनवर अहमद निवासीगण ग्राम शैलवार, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली
6. मदीना पुत्री करामत मुसलमान पत्नी मुडकू मुसलमान, निवासी ग्राम शैलवार, थाना गढ़वा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली

...... अनावेदकगण

मननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1281 I 01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.09.2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन।

R. Chaturvedi 4/2/10

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन हैः–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1- यहकि, ग्राम शैलवार, थाना गढ़वा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली में स्थित भूमि सर्वे कमांक 2150, 216, 219, 238, 239 आवेदक एवं अनावेदनगण के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 158–तीन/10 **जिला –सिंगरोली**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
25.7.16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये तथा उनके द्वारा (एक–क) हितबद्व पक्षकारों के उपसंजात होने तथा एसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना दे दी गई हो। दूसरे पक्ष को सूचना दिये बिना और उसके सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व मण्डल या राजस्व अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती। 2000 आर0एन0–76 डी0बी0 मान0 उच्च न्यायालय आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1281–एक/2001 में पारित आदेश दिनांक 30.09.09 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 158–तीन/10 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1281–एक/01 में वर्णित हैं।	

जिनका निराकरण आदेश दिनांक 30.09.09 से किया जा चुका है।

4–रिव्यु प्र0क0 158–तीन/10 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य